

तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में
जारी हुए

2020/00052

15.06.2020

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जगदीशचन्द्र मेनारिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा रेवलियाकलां पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 80 में अंकित आराजी नम्बर 626 , 631 किता 2 कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 224 की आ0न0 625, रकबा 0.3500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 161 की आ0न0 513, 514 ,525, 526, 624, 795, 873, 874 किता-8 कुल रकबा 2.9600 हैक्टेयर होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।

वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 3000/- अक्षरे ^{सू} हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में मौजा रेवलियाकलां पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 80 में अंकित आराजी नम्बर 626 , 631 किता 2 कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 224 की आ0न0 625, रकबा 0.3500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 161 की आ0न0 513, 514 ,525, 526, 624, 795, 873, 874 किता-8 कुल रकबा 2.9600 हैक्टेयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के जारी सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें। इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया  सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अजु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

भदेसर